अचल संपत्तियों की विक्रय सूचना (सार्वजनिक निविदा द्वारा)

आंचलिक कार्यालय : भोपाल अंचल बैंक ऑफ इंडिया भवन, जेल रोड, भोपाल दूरभाष : 2554404, 2555169

बैंक ऑफ़ इंडिया

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों का निविदा द्वारा विक्रय निम्न वर्णित स्थान, समय एवं दिनांक पर **''जहां है, जैसी है एवं जो कुछ है''** के आधार पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI ACT 2002) की धाराओं का प्रयोग करते हुए किया जायेगा।

क्र. सं.	खाते एवं शाखा का नाम, मांग नोटिस राशि, दिनांक एवं कब्जा दिनांक	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि ₹	निविदा जमा करने की दिनांक एवं समय	निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय
	हमीदिया रोड शाखा, फोन : 0755-2745318, 2745017				
1.	**मेसर्स एन्जॉय कम्युनिकेशन प्रो. श्री मदन मोहन श्रीवास्तव** मांग राशि **₹ 3106606/-+** दिनांक 03.06.2011 से बैंक नियमानुसार ब्याज एवं अन्य खर्च **मांग नोटिस दिनांक 04.06.2011 कब्जा दिनांक 26.12.2011**	अचल संपत्ति का समस्त भूभाग स्थित खसरा नं. 68/1/2, नया खसरा नं. 332, प.ह.नं.38, ग्राम नयापुरा, ब्लॉक फंदा, तहसील हुजूर, जिला–भोपाल टाइटल डीड के अनुसार **क्षेत्रफल–10890 वर्गफिट** (वास्तविक क्षेत्रफल 7000 वर्गफिट) **चर्तुसीमा**–पूर्व–विक्रेता की शेष जमीन, पश्चिम–शांति बाजपेयी की जमीन, उत्तर–सरकारी जमीन, दक्षिण–विक्रेता की शेष जमीन, **संपत्ति मालिक–मदन मोहन श्रीवास्तव**	₹ **40.00** लाख / **4.00** लाख	**13-03-2012 को शाम 4.00 बजे तक**	**14-03-2012 को सुबह 11.30 बजे**
				स्थान : हमीदिया रोड शाखा, 31, हमीदिया रोड, भोपाल	
	प्रोफेसर कालोनी शाखा, फोन : 0755-2661649, 2660180				
2.	**श्री मुख्तार अहमद पुत्र इफ्तखार हुसैन** मांग राशि **₹ 954774/-+** दिनांक 16.07.2011 से बैंक नियमानुसार ब्याज एवं अन्य खर्च **मांग नोटिस दि. 15.07.2011 कब्जा दि. 30.12.2011**	अचल संपत्ति का समस्त भूभाग स्थित फ्लैट नं. जी–01, भूतल, मंजर लेक साइड अपार्टमेंट, रियाज मंजिल कम्पाउण्ड खानूगांव, वार्ड नं.5, तह. हुजूर, भोपाल **क्षेत्रफल–680 वर्गफिट चर्तुसीमा**–पूर्व–फ्लैट नं. जी–2, पश्चिम–कॉमन पैसेज, उत्तर–जी–3, दक्षिण–रोड **संपत्ति मालिक–श्री मुख्तार अहमद पुत्र इफ्तखार हुसैन**	₹ **12.00** लाख / **1.20** लाख	**13-03-2012 को शाम 4.00 बजे तक**	**14-03-2012 को दोपहर 2.30 बजे**
				स्थान : प्रोफेसर कालोनी शाखा, 64, प्रगति अपार्टमेंट, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल	
	इटारसी शाखा, फोन :07572-241346, 240820				
1.	**श्री सुनील कुमार तिवारी,** सरजू भवन, बालाजी मन्दिर रोड, वार्ड नं. 19, इटारसी, जिला-होशंगाबाद मांग राशि **₹2223097+** दिनांक 27.12.2010 से बैंक नियमानुसार ब्याज एवं अन्य खर्च मांग नोटिस दिनांक 17.06.2011 कब्जा दिनांक 08.12.2011	अचल संपत्ति का समस्त भूभाग स्थित खसरा नं. 319/2, एस नं.15, पी.सी. नं. 67, इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर, चर्तुसीमा-पूर्व-खसरा नं. 319/3, पश्चिम-खसरा नं. 345/2, उत्तर -श्री अनिल कुमार तिवारी की भूमि स्थित खसरा नं. 319/2 का भाग, दक्षिण - खसरा नं. 318, **संपत्ति मालिक-श्री सुनील कुमार तिवारी**	₹ **120.00** लाख / **12.00** लाख	**14-03-2012 को शाम 4.00 बजे तक**	**15-03-2012 को दोपहर 12.30 बजे**
				स्थान इटारसी शाखा, सरकारी रेस्ट हाउस के पास, नेहरू गंज, इटारसी	
2.	**श्री अनिल कुमार तिवारी** 1. खाता -श्री अनिल कुमार तिवारी मांग राशि **₹ 1897759/-+** दिनांक 27.12.2010 से बैंक नियमानुसार ब्याज एवं अन्य खर्च मांग नोटिस दिनांक 04.03.2011 कब्जा दिनांक 08.12.2011 **एवं 2. खाता -मे. मेघदूत ऑटो मोबाइल्स** पार्टनर- श्री सुनील कुमार तिवारी, श्री अनिल कुमार तिवारी, श्री सम्राट तिवारी एवं श्री विश्वामित्र तिवारी मांग राशि **₹ 4213861/-+** दि. 25.10.2010 से बैंक नियमानुसार ब्याज एवं अन्य खर्च मांग नोटिस दिनांक 04.03.2011 कब्जा दि. 08.12.2011	अचल संपत्ति का समस्त भूभाग स्थित खसरा नं. 319/2, पी.सी. नं. 67, एस नं.15, इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) क्षेत्रफल-1.1214 हेक्टेयर, चर्तुसीमा-पूर्व-खसरा नं. 319/3, पश्चिम-खसरा नं. 344, उत्तर -रेलवे की भूमि, दक्षिण - श्री सुनील कुमार तिवारी की भूमि स्थित खसरा नं. 319/2 का भाग, **संपत्ति मालिक-श्री अनिल कुमार तिवारी**	₹ **120.00** लाख / **12.00** लाख	**14-03-2012 को शाम 4.00 बजे तक**	**15-03-2012 को दोपहर 2.30 बजे**
				स्थान इटारसी शाखा, सरकारी रेस्ट हाउस के पास, नेहरू गंज, इटारसी	

विक्रय की नियम एवं शर्ते :- (1) उपरोक्त वर्णित संपत्ति को क्रय करने हेतु इच्छुक क्रेता से सीलबंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रुप से ''संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव खाता (निविदा संबंधित खाते का नाम) एवं शाखा का नाम'' लिखा होना चाहिए। इच्छुक क्रेता उपरोक्त वर्णित संपत्ति हेतु अपना आवेदन (जिसमें उसका नाम, पूर्ण पता, टेलीफोन नं. इत्यादि हो) सीलबंद लिफाफे में उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेआर्डर जो कि बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा /शहर के पक्ष में देय हो संलग्न करना है। निविदा प्राधिकृत अधिकारी अथवा संबंधित शाखा में प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित दिनांक, समय एवं स्थान पर जमा की जा सकती है। असफल निविदाकर्ताओं को धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर लौटा दिया जायेगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (2) नीलामी के समय उपस्थिति बोलीकर्ताओं के समक्ष निविदा खोली जावेगी। कोई भी निविदा धरोहर राशि के उचित ड्राफ्ट के अभाव में मान्य नहीं होगी तथा निरस्त कर दी जावेगी। उच्चतम बोलीकर्ता को संपत्ति बेची जावेगी। निविदा खोलने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी अपने स्वविवेक से इच्छुक निविदा जमाकर्ताओं के बीच में सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति की बोली लगाने का मौका आमंत्रण मूल्य बढ़ाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान,दिनांक एवं समय को दिया जा सकता है। विक्रय संचालन के समय राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाती है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। कोई बोलीकर्ता जो कि अपना प्रस्ताव बढ़ाने को इच्छुक है तो उपर्युक्त तिथि में उपस्थित रहना पड़ेगा। ऐसा न करने पर हम बोलीकर्ता को नीलामी विक्रय के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अमान्य होगी। (3) किसी भी स्थिति में संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेची जावेगी। (4) सफल निविदाकर्ता को उल्लेखित मूल्य का 25 प्रतिशत तत्काल ड्राफ्ट द्वारा देना अनिवार्य होगा जिसमें धरोहर राशि का समायोजन किया जावेगा। अधिकतम निविदाकर्ता द्वारा 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा नहीं करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। बकाया 75 प्रतिशत राशि प्रस्ताव स्वीकृति की तिथि से 15 दिन के अन्दर जमा करानी होगी या प्राधिकृत अधिकारी एवं निविदाकर्ता द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई गई अवधि में जमा करनी होगी। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी। ऐसी दशा में प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति की पुनःनीलामी करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपत्ति के पुनः विक्रय की स्थिति में चूककर्ता निविदाकर्ता को पुनः विक्रय की जाने वाली संपत्ति अथवा विक्रय की राशि के किसी भी अंश पर कोई अधिकार नहीं होगा। (5) संपूर्ण नीलामी राशि प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। (6) किसी भी स्थिति में क्रेता द्वारा विक्रय को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। (7) संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं सांविधिक देयताएं आदि एवं विक्रय रजिस्ट्री आदि व्यय क्रेता को स्वयं वहन करना होगा। (8) स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च, पंजीयन शुल्क ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्चे इत्यादि क्रेता को वहन करने होंगे। (9) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने नीलामी को निरस्त करने या आगे बढ़ाने अथवा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का बिना कारण बताये अधिकार प्राप्त रहेगा। (10) बोली प्रक्रिया में बोलीकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। (11) इच्छुक निविदाकर्ता अपने साथ इनमें से कोई एक पहचान पत्र की मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर आवेंगे। (पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि)

नोट :- विक्रय से संबंधित अन्य विवरण /संपत्ति की निरीक्षण हेतु बैंक ऑफ इण्डिया के संबंधित शाखा प्रबंधक से किसी भी कार्यालयीन दिवस में उपरोक्त वर्णित दूरभाष क्रमांक पर संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक 03-02-2012

प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया

ऋणकर्ताओं/जमानतदार/बंधककर्ता को 30 दिन का विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि भुगतान करने की नीलामी की तिथि के पूर्व सूचित किया जाता हैं। असफल रहने पर संपत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आप से वसूल की जायेगी अथवा उधारकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।